INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP05201314405250Q
Certificate Issued Date	:	24-Oct-2018 12:59 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ upshcil01/ GORAKHPUR/ UP-GRK
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPSHCIL0106217136198765Q
Purchased by	:	ARBIT INFRATEL PRIVATE LTD
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	HOUSE NO- 184 WITH ARAZI NO 998 MI, 999 MI, 1003 MI, 1004 MI BASHARATPUR GORAKHPUR
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	GERALD CALLENDRA AND OTHERS
Second Party	:	ARBIT INFRATEL PRIVATE LTD
Stamp Duty Paid By	:	ARBIT INFRATEL PRIVATE LTD
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	97,37,000 (Ninety Seven Lakh Thirty Seven Thousand only)

(5)
2

Please write or type below this line

Verified By

Verified By

FOR ARBIT INFRATEL PVT. LTD.

DIRECTOR

U 0005570413

VOID VOID VOID VOID VOID
VOID VOID VOID VOID VOID

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Warning

"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at www.shcilestamp.com or at any Authorised collection center address displayed at www.shcilestamp.com free of cost."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence"

"This document contains security features like coloured background with Lacey Geometric Flexible patterns and Subtle Logo images, Complex ornamental design borders, Anti - copy text, the appearance of micro printing, artificial watermarks and other Overt and Covert features."



9453402191 9624423737 8601161737



8601161737 9997509302 विक्रय–विलेख 8400333333

मौजा – बशारतपुर
आराजी नम्बर– 988 मि, 999 मि, 1003 मि, व 1004 मि
रकबा– 3520 वर्गमीटर
मूल्याकंन सूची का विवरण –
भाग – 2
प्रारुप – 3
क्रम सं0 – 9
वीकोड – 0091
निर्माण आर बी सी


9452417423 8400999999

निर्माण के मुल्यांकन का दर– रुपया 11000/– प्रति वर्ग मीटर
निर्माण वर्ष – 1932
ह्रास मूल्य के लायक भवन
सामान्य निर्देश सं0 31
सामान्य निर्देश संख्या 05
नियत दर– रुपया 38000/– वर्ग मीटर
सामान्य निर्देश संख्या 05 के क्रम में प्रभावी दर– रुपया 41800/– प्रति वर्ग मीटर

FOR ARBIT INFRATEL PVT. LTD.

DIRECTOR

सामान्य निर्देश संख्या 31 के अनुसार प्रभावी दर–

500 वर्ग मीटर तक रु0 41800/– प्रति वर्ग मीटर

500 वर्ग मीटर से 1000 वर्ग मीटर तक प्रभावी दर रु0 35530/– प्रति वर्ग मीटर

1000 वर्ग मीटर से 2000 वर्ग मीटर तक प्रभावी दर रुपया 33440/– प्रति वर्ग मीटर

2000 वर्गमीटर से अधिक अवशेष क्षेत्रफल 1520 वर्ग मीटर हेतु प्रभावी दर रुपया 29260/– प्रति वर्ग मीटर

500 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल का मूल्यांकन– रु0 2,09,00,000/–

500 वर्ग मीटर से 1000 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल का मूल्यांकन– रुपया 1,77,65,000/–

1000 वर्ग मीटर से 2000 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल का मूल्यांकन– रुपया 3,34,40,000/–

2000 वर्गमीटर से अधिक अवशेष क्षेत्रफल 1520 वर्ग मीटर का मूल्यांकन– रु0 4,44,76,000/–

भूमि का कुल मूल्यांकन– रुपया 11,65,81,000/–

आर0 बी0 सी0 छत से आच्छादित भवन का क्षेत्रफल–

भूतल का क्षेत्रफल– 278.81 वर्ग मीटर

प्रथम तल का क्षेत्रफल– 185.874 वर्ग मीटर

कुल आच्छादित क्षेत्रफल– 464.684 वर्ग मीटर

ह्रास मूल्य के अनुसार भवन की मालियत– रुपया 15,34,000/–

20 वर्ष पुराने कुल 2 पेड़ सागौन, 4 पेड़ आम व 5 पेड़ अशोक, 1 पेड़ बरगद, 2 पेड़ कटहल व 5 अन्य पेड़ की मालियत– रुपया 2,54,000/–

बाउन्ड्रीवाल की मालियत– रुपया 2,00,000/–

कुल मूल्यांकन– रुपया 11,85,69,000/–

कीमत रु0 13,91,00,000/–

स्टैम्प – रु0 97,37,000/–

ई–स्टैम्प – रु0 97,37,000/–

विक्रेता का पैन – BIGPC5706A

क्रेता का पैन – AAICA8669G

FOR ARBIT INFRATEL PVT. LTD

DIRECTOR

हम कि **जेरल्ड कलेन्डर पुत्र स्व0 केनेथ एलेन कलेन्डर** निवासी मकान नम्बर 184, "आइरश विला", मुहल्ला बशारतपुर, मेडिकल कालेज रोड, तहसील सदर, शहर व जिला गोरखपुर पिन 273004 **व श्रीमती रोजैली नोरमा मार्टिल सिंह पत्नी श्री सैमुएल सिंह (पुत्री स्व0 केनेथ एलेन कलेन्डर)** निवासिनी मकान नम्बर 184, मुहल्ला बशारतपुर, मेडिकल कालेज रोड, तहसील सदर, शहर व जिला गोरखपुर पिन 273004 वर्तमान पता 4516 डबलू, 172 स्ट्रीट # ए, लॉनडेल, कैलिफोर्निया, 90260, **द्वारा मुख्तारेआम** (दिनांक 02/08/2018 को कैलिफोर्निया में निष्पादित व सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलेक्टर स्टाम्प गोरखपुर द्वारा दिनांक 15/10/2018 को यथाविधि स्टाम्पित) **सैमुएल सिंह** पुत्र दयाल तारकेश्वर सिंह निवासी 4516 डबलू, 172 स्ट्रीट # ए, लॉनडेल, कैलिफोर्निया, 90260 व **कुमारी अरुणा कलेन्डर पुत्री स्व0 केनेथ एलेन कलेन्डर स्वयं व बहैसियत मुख्तारेआम** (दिनांक 16/08/2018 को कैलिफोर्निया में निष्पादित व सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलेक्टर स्टाम्प गोरखपुर द्वारा दिनांक 15/10/2018 को यथाविधि स्टाम्पित) **कुमारी निलोफर कलेन्डर पुत्री स्व0 केनेथ एलेन कलेन्डर निवासिनीगण** मकान नम्बर 184, मुहल्ला बशारतपुर, मेडिकल कालेज रोड, तहसील सदर, शहर व जिला गोरखपुर पिन 273004 वर्तमान पता 4516 डबलू, 172 स्ट्रीट # ए, लॉनडेल, कैलिफोर्निया, 90260 के है जिन्हे इस विलेख में पक्षकारगण प्रथम पक्ष विक्रेता सम्बोधित किया गया है व **फिरोज कलेन्डर पुत्र स्व0 मेरिल इवान फ्रेड्रिक कलेन्डर** निवासी 5/6 अबिदा काम्पलेक्स, बी आई बाजार, कैन्ट, बरेली (उ0 प्र0) पिन 243001 के है, जिनसे इस विलेख में पक्षकार प्रथम पक्ष अनापत्तिकर्ता का अभिप्राय है और जिनसे संयुक्त रुप में पक्षकारगण प्रथम पक्ष/प्रथम पक्ष का तात्पर्य है।

एंवम्

आर्बिट इन्फ्राटेल प्रा0 लि0 प्लाट नम्बर 41, हरिओमनगर फेज 2, सिविल लाईन्स, गोरखपुर द्वारा निदेशक अभिषेक अग्रवाल पुत्र श्री सीताराम अग्रवाल निवासी प्लाट नम्बर 41, हरिओमनगर फेज 2, सिविल लाईन्स, गोरखपुर के हैं, जिनसे इस विलेख में पक्षकार क्रेता / द्वितीय पक्ष का अभिप्राय है।

विदित हो कि मौजा– बशारतपुर, तप्पा कस्बा, परगना हवेली, तहसील सदर जिला गोरखपुर के गाटा नं0 998 मि0 रकबा 50 डिसमिल, 999 मि0 रकबा 57

FOR ARBIT INFRATEL PVT. LTD

DIRECTOR

डिसमिल, 1003 मि0 रकबा 46 डिसमिल व गाटा संख्या 1004 मि0 रकबा 44 डिसमिल अर्थात कुल 4 आराजी व कुल रकबा 1.99 एकड़ के बी0 एम0 कलेन्डर मालिक काबिज रहे व बी0 एम0 कलेन्डर के मृत्योपरान्त उनके दोनो पुत्र मेरिल कलेन्डर व केनेथ कलेन्डर प्रश्नगत आराजियात के मालिक काबिज दखील हुये। सन 1971 में मेरिल कलेन्डर की मृत्यु के बाद प्रश्नगत आराजियात में उनके हक व हिस्से को उनके पुत्र फिरोज कलेन्डर हासिल किये। कालान्तर में दिनांक 3/12/1973 को हुये पारिवारिक समझौता के क्रम में एक नक्शा तैयार किया गया और उक्त नक्शें में परिवार के सदस्यों का पृथक पृथक व संयुक्त अंश को प्रदर्शित किया गया साथ ही साथ नक्शे को संलग्न करते हुये विलेख दिनांक 02/12/1974 निष्पादित किया गया। उक्त के अनुक्रम में पक्षकार प्रथम पक्ष अनापत्तिकर्ता जो अंश पृथक रुप से प्राप्त किये उसे विभिन्न विक्रय विलेख के माध्यम से भिन्न भिन्न ब्यक्तियों को बेंच दिये और इसी प्रकार प्रथम पक्ष अनापत्तिकर्ता जो अंश संयुक्त रुप से धारित किये थे, उसे संयुक्त रुप से विभिन्न लोंगो को बेंच दिये, इस प्रकार प्रथम पक्ष अनापत्तिकर्ता उपरांकित आराजियात में अपने कुल हक व हिस्से को विभिन्न रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के माध्यम से बेंच दिये, बावजूद इसके प्रथम पक्ष अनापत्तिकर्ता का खतौनी में नाम दर्ज रहने के आधार पर उपरांकित आराजियात के बावत प्रथम पक्ष अनापत्तिकर्ता ने एक वाद न्यायालय सिविल जज सिनियर डिवीजन/ लघुवाद न्यायाधीश गोरखपुर के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसका वाद संख्या 382/2006, फिरोज कलेन्डर बनाम जेराल्ड कलेन्डर रहा। उक्त वाद के सुनवाई के दौरान प्रतिवादी द्वारा काउन्टर क्लेम किया गया और प्रथम पक्ष अनापत्तिकर्ता द्वारा तनहा व संयुक्त रुप से निष्पादित समस्त विक्रय विलेख के साथ साथ नोटरी शपथ पत्र दिनांक 27/02/1987 प्रस्तुत किया गया। प्रथम पक्ष अनापत्तिकर्ता ने जो नोटरी शपथपत्र दिनांक 27/02/1987 निष्पादित किया था, उसमें प्रथम पक्ष अनापत्तिकर्ता ने इस तथ्य को स्वीकार किया था कि समझौता दिनांक 03/12/1973 व उसका लेखपत्र दिनांक 02/12/1974 के अधीन ही प्रथम पक्ष अनापत्तिकर्ता ने उपरांकित आराजियात में अपने हक व हिस्से को हासिल किया व उक्त समझौते के आधार पर केनेथ एलेन कलेन्डर ने विषयांकित आराजियात में जो भी हक व हिस्सा हासिल किया था, से प्रथम पक्ष अनापत्तिकर्ता का कोई वास्ता सरोकार नही रहा। इस प्रकार से माननीय न्यायालय ने उपरोक्त वर्णित तथ्यों का संज्ञान लेते हुये

FOR ARBIT INFRATEL PVT. LTD.

DIRECTOR

दिनांक 25/11/2014 को वाद खारिज करते हुये काउन्टर क्लेम बहक प्रतिवादी विरुद्ध वादी आज्ञप्ति किया व समझौता दिनांक 03/12/1973 व उसका लेखपत्र दिनांक 02/12/1974 में संलग्न नक्शा में केनेथ एलेन कलेन्डर के प्रदर्शित तनहा अंश में किसी भी तरह के हस्तक्षेप से प्रथम पक्ष अनापत्तिकर्ता को रोक दिया गया। प्रथम पक्ष अनापत्तिकर्ता ने न्यायालय सिविल जज सिनियर डिवीजन/ लघुवाद न्यायाधीश गोरखपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25/11/2014 से क्षुब्ध होकर न्यायालय जनपद न्यायाधीश गोरखपुर के समक्ष अपील संख्या 114/2014 व 683/2018 प्रस्तुत कर दिया। प्रथम पक्ष अनापत्तिकर्ता अपील प्रस्तुत करने के साथ साथ अपनी विधिक स्थिति के सम्बन्ध में विशेषज्ञ लोंगो से सलाह लेंते रहे और तमाम विधि विशेषज्ञों के सय मशविरा से प्रथम पक्ष अनापत्तिकर्ता इस नतीजे पर पहुंचे कि उद्धरण खतौनी पर प्रथम पक्ष अनापत्तिकर्ता का नाम दर्ज रहने के बावजूद भी मुकदमेंवाजी से प्रथम पक्ष अनापत्तिकर्ता को कुछ हासिल होने वाला नही है क्योंकि मौजा बशारतपुर, तप्पा कस्बा, परगना हवेली, तहसील सदर जिला गोरखपुर के उद्धरण खतौनी फसली वर्ष 1421 से 1426 तक के खाता खतौनी संख्या 01881 पर उल्लिखित गाटा नं0 998 मि0 रकबा 0.1060 हेक्टेयर, 999 मि0 रकबा 0.0370 हेक्टेयर, 1003 मि0 रकबा 0.1320 हेक्टेयर व गाटा संख्या 1004 मि0 रकबा 0.0770 हेक्टेयर अर्थात कुल 4 आराजी व कुल रकबा 0.3520 हेक्टेयर से प्रथम पक्ष अनापत्तिकर्ता का कोई वास्ता सरोकार नही है। अतः प्रथम पक्ष अनापत्तिकर्ता ने अपनी वास्तविक विधिक स्थिति का बोध करते हुये उक्त अपील को नाट प्रेस (Not press) कर दिया।

ज्ञात हो कि केनेथ एलेन कलेन्डर के मृत्योपरान्त जेरल्ड कलेन्डर, उपरांकित उद्धरण खतौनी के खाता क्रम संख्या 01881 पर उल्लिखित समस्त आराजियात के कुल रकबा 0.3520 हे0 को वरासतन हासिल कर लिया और इस प्रकार केनेथ कलेन्डर के स्थान पर जेरल्ड कलेन्डर का नाम वरासतन राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गया, जिससे अन्य किसी का कोई वास्ता सरोकार नही है। उपरांकित आराजियात की भूमि में एक किता दोमंजिला भवन अजनाम "आइरश विला" भी जिर्ण शिर्ण हालत में मौजूद है, जिराका नगर निगम गोरखपुर में भवन संख्या 184 दर्ज है, जिससे सम्बन्धित कर निर्धारण सूची में जेरल्ड कलेन्डर, श्रीमती रोजैली नोरमा मार्टिल सिंह, कुमारी अरुणा कलेन्डर व कुमारी निलोफर

FOR ARBIT INFRATEL PVT. LTD.

DIRECTOR

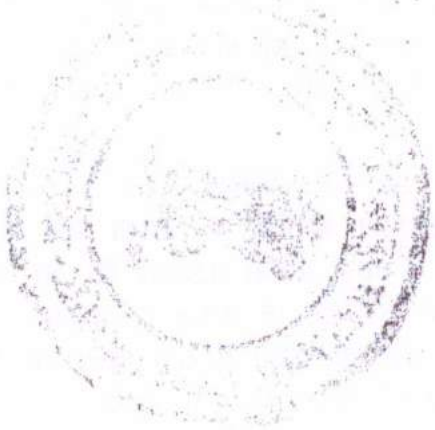

कलेन्डर का नाम दर्ज है। इस प्रकार उपरांकित भूमि मय मकान जिसका चौहद्दी सहित पूरा विवरण इस विलेख के अन्त में दिया जा रहा है के हम पक्षकारगण प्रथम पक्ष विक्रेता तनहा मालिक काबिज दखील चले आ रहे है। विषयांकित सम्पत्ति (गाटा नं0 998 मि0 रकबा 0.1060 हेक्टेयर, 999 मि0 रकबा 0.0370 हेक्टेयर, 1003 मि0 रकबा 0.1320 हेक्टेयर व गाटा संख्या 1004 मि0 रकबा 0. 0770 हेक्टेयर अर्थात कुल 4 आराजी व कुल रकबा 0.3520 हेक्टेयर मौजा बशारतपुर, तप्पा कस्बा, परगना हवेली, तहसील सदर, जिला गोरखपुर व उसमें मौजूद मकान जिसका चौहद्दी सहित पूरा विवरण इस विलेख के अन्त में दिया जा रहा है) हर प्रकार से पाक व साफ है तथा जिसे हस्तानान्तरित करने का विधिक अधिकार हम पक्षकारगण प्रथम पक्ष विक्रेता को प्राप्त है। हम पक्षकारगण प्रथम पक्ष विक्रेता अपने–अपने आवश्यकता के अनुसार अपनी–अपनी आवश्यक्ताओ को पूरा करने के उद्देश्य से एक राय हो कर विषयाकिंत सम्पत्ति को बेंचने का एलान किया तो विभिन्न इच्छुक व्यक्तियों से इस संम्बन्ध में बातचीत हुई और उक्त के क्रम में पक्षकार क्रेता/द्वितीय पक्ष विषयांकित सम्पत्ति को सबसे अधिक कीमत **रुपया 13,91,00,000/– (तेरह करोड़ इक्यानबे लाख)** में खरीदने को तैयार हो गये कीमत बलिहाज मौका व जमाना काफी माकूल है तथा इससे अधिक कीमत मिलने की कोई सम्भावना नही है।

अतः पक्षकारगण प्रथम पक्ष विक्रेता विषयांकित सम्पत्ति को **रुपया 13,91,00,000/– (तेरह करोड़ इक्यानबे लाख)** के एवज में पक्षकार क्रेता/द्वितीय पक्ष के हाथ बेंचना तय कर लिया और हम पक्षकारगण प्रथम पक्ष विक्रेता अपनी इच्छानुसार कुल तय सुदा कीमत **रुपया 13,91,00,000/– (तेरह करोड़ इक्यानबे लाख)** यूकों बैंक के खाते संख्या 20230110026045 में निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त कर लिये है:–

क्रं0	धनराशि	आर0टी0जी0एस0	बैक	दिनांक
1.	13,77,09,000/–	SBINR52018102400011696	SBI	24/10/18
2	13,91,000/–	प्रतिफल का 1 प्रतिशत TDS मद में चालान द्वारा जमा, Ref. No. CKH5022306/SBI/दिनाक 24/10/2018		

FOR ARBIT INFRATEL PVT. LTD

DIRECTOR

विक्रय पत्र

प्रतिफल- 139100000 स्टाम्प शुल्क- 9737000 बाजारी मूल्य - 118569000 पंजीकरण शुल्क - 20000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 20080

श्री आर्बिट इन्फ्राटेल प्रा०लि० द्वारा निदेशक द्वारा
अभिषेक अग्रवाल अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री सीताराम अग्रवाल
व्यवसाय : व्यापार
निवासी: 41, हरिओमनगर फेज 2, सिविल लाइन्स, गोरखपुर

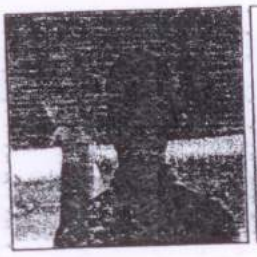

श्री. आर्बिट इन्फ्राटेल प्रा०लि० द्वारा निदेशक द्वारा अभिषेक अग्रवाल अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 25/10/2018
एवं 11:07:04 AM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

22988

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

योगेन्द्र प्रताप सिंह
उप निबंधक :सदर प्रथम
गोरखपुर
25/10/2018

जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - निबंधन

अब पक्षकार क्रेता/द्वितीय पक्ष के जिम्मे किसी तरह की कोई धनराशि शेष नही है और हम पक्षकारगण प्रथम पक्ष विक्रेता भी उक्त खाते में हुये उपरांकित भुगतान से पूरी तौर पर संतुष्ट है। अतः पक्षकारगण प्रथम पक्ष विक्रेता खूब सोच समझकर बखूशी रजामंदी व दुरुस्ती होशो हवास बिना जब्र व दबाव दिगरे अपने अकिल व आजाद राय से यह विक्रय विलेख बहक वदस्त **आर्बिट इन्फ्राटेल प्रा0 लि0** प्लाट नम्बर 41, हरिओमनगर फेज 2, सिविल लाईन्स, गोरखपुर द्वारा निदेशक अभिषेक अग्रवाल पुत्र श्री सीताराम अग्रवाल निवासी प्लाट नम्बर 41, हरिओमनगर फेज 2, सिविल लाईन्स, गोरखपुर को लिख दिया कि समय पर काम आवे व सनद रहे। विषयांकित सम्पत्ति पर क्रेता उपरोक्त को काबिज दाखिल करा दिया तथा विक्रेतागण ने अपने समस्त स्वत्व, स्वामित्व, आधिपत्य, सुखाधिकार आदि का अन्तरण क्रेता उपरोक्त के पक्ष में कर दिया। पक्षकारगण प्रथम पक्ष विक्रेता खुद विषयांकित सम्पत्ति से लाताल्लुक व लावास्ता हो गये। क्रेता उपरोक्त को चाहिये की समस्त संम्बन्धित राजस्व व निकाय आदि के अभिलेखो में हम पक्षकारगण प्रथम पक्ष विक्रेता व पक्षकार प्रथम पक्ष अनापत्तिकर्ता का नाम निरस्त करवा कर अपना नाम बतौर स्वामी दर्ज करा लेवें इसमें किसी को न आज कोई आपत्ति है न भविष्य में किसी तरह की कोई आपत्ति होगी। क्रेता उपरोक्त को अधिकार होगा कि विषयांकित सम्पत्ति, जिसे संलग्न मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है, पर जैसा चाहे वैसा निर्माण करवा कर उपयोग–उपभोग करें या जो चाहे सो करें। वाजा हो कि क्रेता उपरोक्त विषयांकित सम्पत्ति पर कब्जा प्राप्त कर लिये है व संलग्न मानचित्र में लाल रंग से प्रदर्शित अंश के अलॉवा आराजियात के अन्य किसी अंश हेतु कोई क्लेम नही करेगे। यदि क्रेता उपरोक्त संलग्न मानचित्र में लाल रंग से प्रदर्शित भाग के कुल या कुछ भाग से बेदखल होते है तो उस दशा में क्रेता उपरोक्त को यह अधिकार होगा कि जरसमन बैनामा मय सूद व मय हर्जा खर्चा के हम पक्षकारगण प्रथम पक्ष विक्रेता से वसूल कर लेवे इसमें हम पक्षकारगण प्रथम पक्ष विक्रेता व हम पक्षकारगण प्रथम पक्ष विक्रेता के उत्तराधिकारियो को न आज कोई आपत्ति है न आईन्दा कोई आपत्ति होगी। हम पक्षकारगण प्रथम पक्ष विक्रेता ने विषयांकित सम्पत्ति पर किसी बैंक, संस्था से कोई ऋण नही लिये है और न ही विषयांकित सम्पत्ति पर किसी बैंक या संस्था का कोई बकाया है। हम पक्षकारगण प्रथम ने विषयांकित सम्पत्ति को किसी बैंक को जमानत में नही दिये है। हम पक्षकारगण प्रथम पक्ष विक्रेता द्वारा क्रेता को यह भी

FOR ARBIT INFRATEL PVT. LTD.

DIRECTOR

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री जेरल्ड कलेन्डर, पुत्र श्री स्व० केनेथ एलेन कलेन्डर

निवासी: 184, बशारतपुर, गोरखपुर

व्यवसाय: अन्य

विक्रेता: 2

श्री रोजैली नोरमा मार्टिल सिंह के द्वारा सेमुएल सिंह, पुत्र श्री दयाल तारकेश्वर सिंह

निवासी: 4516 डब्लू, 172 स्ट्रीट # ए, लॉनडेल, कैलिफोर्निया, 90260

व्यवसाय: अन्य

विक्रेता: 3

कुमारी अरुणा कलेन्डर, पुत्री श्री स्व० केनेथ एलेन कलेन्डर

निवासी: 184, बशारतपुर, गोरखपुर, हाल मुकाम, कैलिफोर्निया, 90260

व्यवसाय: अन्य

विक्रेता: 4

कुमारी निलोफर कलेन्डर के द्वारा अरुणा कलेन्डर, पुत्री श्री स्व० केनेथ एलेन कलेन्डर

निवासी: 184, बशारतपुर, गोरखपुर हाल मुकाम कैलिफोर्निया, 90260

व्यवसाय: अन्य

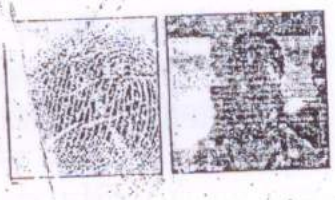

विक्रेता: 5

श्री फिरोज कलेन्डर, पुत्र श्री स्व० मेरिल इवान फ्रेड्रिक

निवासी: 5/6, अबिदा काम्पलेक्स, बी आई बाजार, कैन्ट बरेली उ०प्र० 243001

व्यवसाय: व्यापार

क्रेता: 1

श्री आर्बिट इन्फ्राटेल प्रा०लि० द्वारा निदेशक के द्वारा अभिषेक अग्रवाल, पुत्र श्री सीताराम अग्रवाल

निवासी: 41, हरिओमनगर फेज 2, सिविल लाइन्स, गोरखपुर

व्यवसाय: व्यापार

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्रीमती सुनीता कलेन्डर, पत्नी श्री जेरेल्ड कलेन्डर

निवासी: डी– 26, निराला नगर, पोस्ट हसनगंज, लखनऊ उ०प्र० 226020

व्यवसाय: नौकरी

भरोसा दिया जा रहा है कि विषयांकित सम्पत्ति को किसी न्यायालय के समक्ष जगानत में नही दिया गया है। हम पक्षकारगण प्रथम पक्ष विक्रेता विषयांकित सम्पत्ति के संम्बन्ध में किसी से कोई करार आदि नही किये है और न ही किसी से कोई रकम लिये है, हम पक्षकारगण प्रथम पक्ष विक्रेता विषयांकित सम्पत्ति के संम्बन्ध में किसी के पक्ष में इकरारनामा आदि तहरीर नही किये है। साथ ही साथ हम पक्षकार प्रथम पक्ष अनापत्तिकर्ता प्रख्यापित करते हैं कि डिक्री/ आदेश दिनांक 25/11/2014 के सन्दर्भ में अब मुझे कोई आपत्ति नही है और प्रथम पक्ष विक्रेता उपरोक्त द्वारा प्रतिफल प्राप्त कर द्वितीय पक्ष के हक में विषयांकित सम्पत्ति के लिये तहरीर किये जा रहे इस विक्रय विलेख के समस्त तथ्यों को स्वीकार करते हुये अपनी सहमति प्रदान करते है व घोषित करते हैं कि अब द्वितीय पक्ष उपरिवर्णित सम्पत्ति के पूर्ण स्वामी है और वे उक्त सम्पत्ति को जिस प्रकार चाहे उपयोग–उपभोग करे या जो चाहे सो करे। हम प्रथम पक्ष अनापत्तिकर्ता यह वचन देंते है कि अब भविष्य में प्रश्नगत आराजियात से सम्बन्धित किसी तरह का कोई वाद, अपील, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण, याचिका आदि किसी भी न्यायालय में योजित नही करेंगे। क्रेता उपरोक्त को यह अधिकार है कि प्रश्नगत आराजियात से सम्बन्धित खतौनी से प्रथम पक्ष विक्रेता जेराल्ड कलेन्डर के साथ साथ प्रथम पक्ष अनापत्तिकर्ता का भी नाम निरस्त करवाकर, अपना नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करा लेंवे। द्वितीय पक्ष के पक्ष में नमान्तरण आदेश पारित होने में हम प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नही है और इस तरह हम प्रथम पक्ष वखुशी रजामन्दी व दुरुस्ती होशो हवाश बिला जब्र व दबाव दिगरे अपने अकिल व आजाद राय से यह विक्रय विलेख बहक द्वितीय पक्ष निष्पादित कर दे रहें है कि समय पर काम आवे व प्रमाण रहे।

ज्ञात हो कि विषयांकित सम्पत्ति असुरन चौक से एच एन सिंह चौक को जाने वाली सड़क जिसे मेडिकल कालेज रोड के नाम से जाना जाता है, के सटे पूरब स्थित है, जो जिलाधिकारी महोदय गोरखपुर द्वारा निर्गत मूल्यांकन सूची के अनुसार कुल मूल्यांकन रुपया 11,85,69,000/– होता है अतः अनुमन्य स्टैम्प शुल्क अदा किया जाता है।

विवरण सम्पत्ति – अन्तर्गत मौजा बशारतपुर, तप्पा कस्बा, परगना हवेली, तहसील सदर जिला गोरखपुर के

FOR ARBIT INFRATEL PVT. LTD.

DIRECTOR

पहचानकर्ता : 2

श्री आनंद कुमार मिश्रा, पुत्र श्री रघुवंश प्रसाद मिश्रा

निवासी: 7, लहरी बिल्डिंग विवेक होटल केंपस बैंक रोड, गोरखपुर

व्यवसाय: व्यापार

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

योगेन्द्र प्रताप सिंह
उप निबंधक सदर प्रथम
गोरखपुर

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
कनि॰ सहायक (निबंधन) - नियमित

आराजी नम्बर	कुल रकबा
998 मि0	0.1060 हे0
(नौ सौ अट्ठानबे मि0)	(शून्य दशमलव एक शून्य छः शून्य हे0)
999 मि0	0.0370 हे0
(नौ सौ निन्यानबे मि0)	(शून्य दशमलव शून्य तीन सात शून्य हे0)
1003 मि0	0.1320 हे0
(एक हजार तीन मि0)	(शून्य दशमलव एक तीन दो शून्य हे0)
1004 मि0	0.0770 हे0
(एक हजार चार मि0)	(शून्य दशमलव शून्य सात सात शून्य हे0)

कुल आराजी 4 (चार) कुल रकबा **0.3520 हे0** (शून्य दशमलव तीन पॉच दो शून्य हे0) मय मकान जिसका नगर निगम गोरखपुर में मकान सं0 184 दर्ज है, हम पक्षकारगण प्रथम पक्ष ने अपने सम्पूर्ण हक व हिस्से के लिये यह विक्रय विलेख तहरीर किये व बेंचा बयखत्मी किया जिसकी चौहद्दी में–

पूरब :– सम्पत्ति अन्य ब्यक्ति,
पश्चिमः– मेडिकल कालेज रोड,
उत्तरः– सम्पत्ति अशोक अग्रवाल व मनीष अग्रवाल व अन्य
दक्षिणः– रास्ता 20 फीट चौड़ा है।

FOR ARBIT INFRATEL PVT. LTD.
DIRECTOR

साक्षी Mrs. SUNITA CALLENDER
W/O MR. GERALD CALLENDER
D-26, NIRALA NAGAR
LUCKNOW

साक्षी Anand Kumar Mishra
S/o Late R.P. Mishra
R/o Flat no-7, Lahri Chambers
Bank Road Gorakhpur

प्रारुपकर्ता व तैयारीकर्ता

अच्युतानन्द शुक्ल
एडवोकेट
दिनांक 24/10/2018

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 14360 के पृष्ठ 227 से 250 तक क्रमांक 9421 पर दिनाँक 25/10/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

योगेन्द्र प्रताप सिंह
उप निबंधक : सदर प्रथम
गोरखपुर
25/10/2018

रुट चार्ट

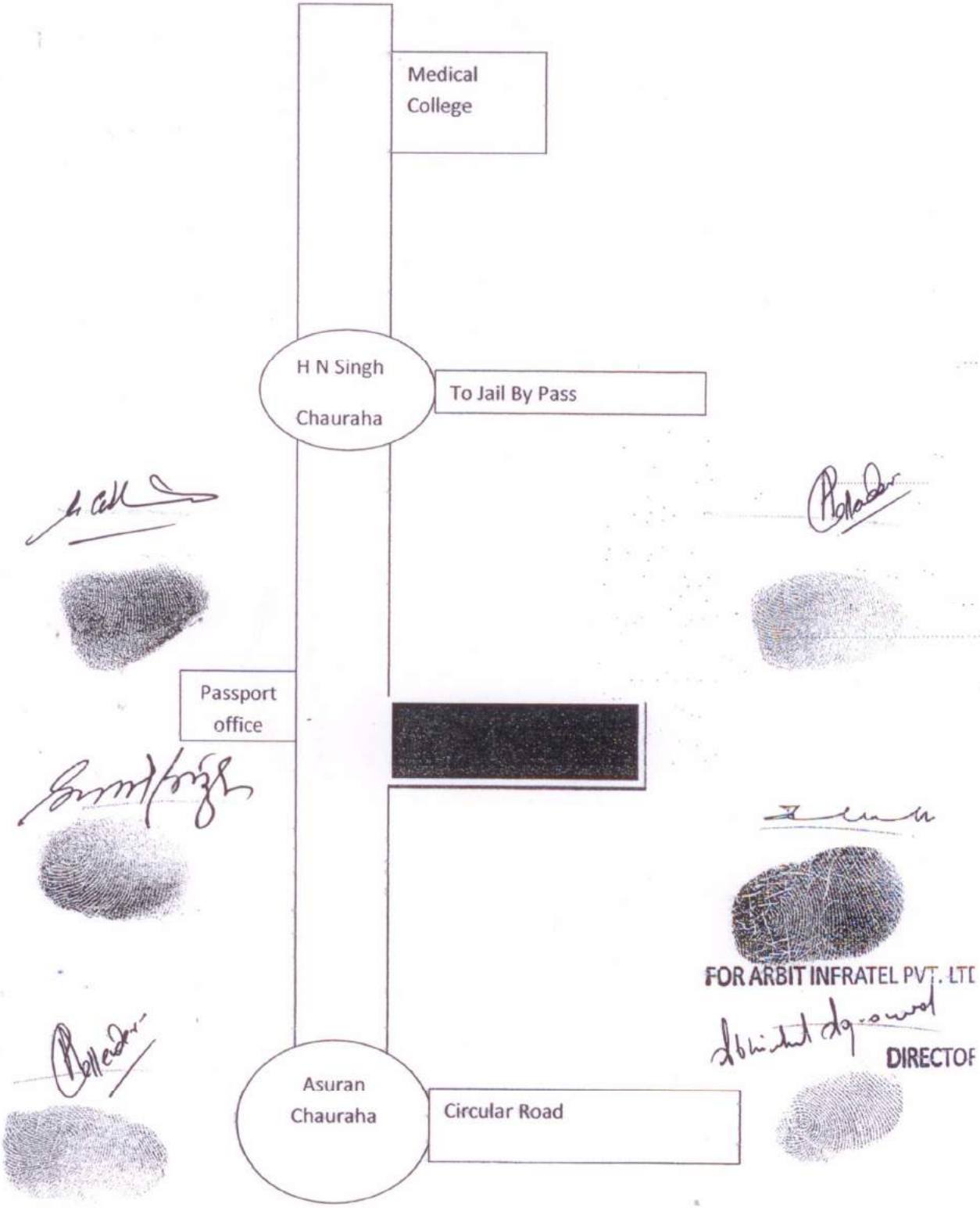
Medical College
H N Singh Chauraha
To Jail By Pass
Passport office
[redacted]
Asuran Chauraha
Circular Road
FOR ARBIT INFRATEL PVT. LTD
DIRECTOR

नक्शा नजरीः– बावत गाटा नं0 998 मि0, 999 मि0, 1003 मि0 व 1004 मि0 कुल रकबा 0.3520 हेक्टेयर, जिसमें मकान नं0– 184 मौजूद है, अन्तर्गत मौजा बशारतपुर, तप्पा कस्बा, परगना हवेली, तहसील सदर, जिला गोरखपुर

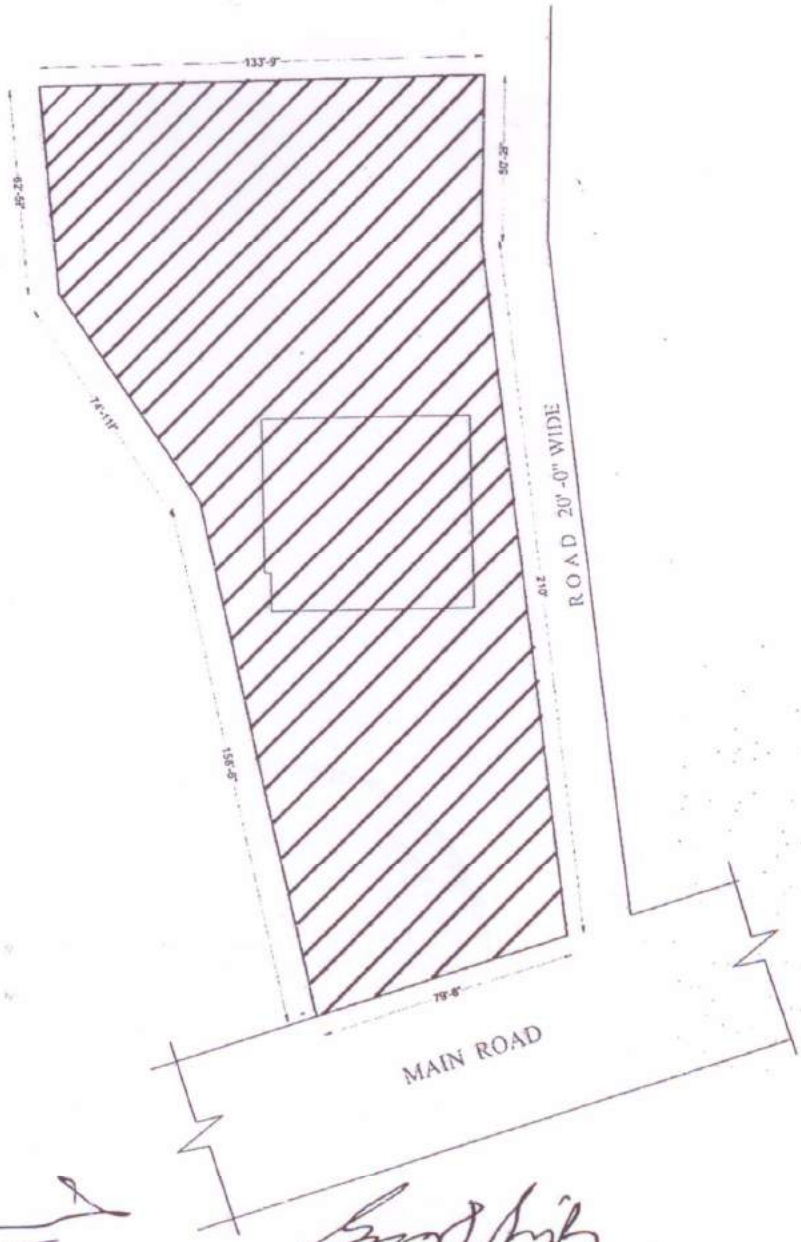

FOR ARBIT INFRATEL PVT. LTD

DIRECTOR